study time

Subject Political Science

06.05.2020
Date.: __/__/__
MON TUE WED THR FRI SAT SUN

Abdul Qaish
Assist. Prof. Pol. Scien
Shershah college Sasaram

# भारतीय संविधान की विशेषताएं

हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं है, जो संविधान के आदर्शों को भी प्रकट करते है। इन्ही विशेषताओं के आधार पर देश की शासन प्रणाली संचालित होती है। इस संदर्भ में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि- "मै महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमे परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांतिकाल तथा युद्धकाल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। वास्तव में, मै यह कहना चाहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अन्तर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन, हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है।"

भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(1)- विशाल व विस्तृत संविधान :⇒ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके वृहद होने का प्रमुख कारण संघ तथा प्रान्तीय इन दोनो स्तर की सरकारों का गठन एवं इनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। भारतीय संविधान मे कुल ३९५ अनुच्छेद, १२ अनुसूचियां तथा २२ भाग हैं। वहीं विश्व के अन्य देशों यथा अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया के संविधानों में अनुच्छेदों की संख्या कम है।

(2) लिखित संविधान :⇒ विश्व के जितने भी संविधान हैं उन्हे लिखित और आलिखित इन दो भागों में बांटा गया है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसे संविधान सभा ने दो वर्ष, ग्यारह महीने एवं अट्ठारह दिन में पूर्ण किया है

(3) संसदीय शासन प्रणाली :⇒ संघात्मक संविधान के अन्तर्गत दो तरह की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है ① संसदात्मक शासन प्रणाली ② अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान ही संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई। यह शासन प्रणाली संघ एवं राज्य इन दोनो ही

Scanned with CamScanner

study time

Subject Political Science

Date: 06.05.2020

MON TUE WED THR FRI SAT SUN

स्तरो पर समान रूप से कार्य करती है। इसके अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित मंत्रिपरिषद मे होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

(4) मूल अधिकार :→ भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों के लिए व्यापक मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है। यह अमरीकी संविधान के Bill of Rights से प्रेरित है। मूल अधिकार राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति पर निर्बन्धन लगाते हैं। राज्य मूल अधिकारो के विरुद्ध कोई विधि नही बना सकता है, अगर वह ऐसा करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। इस प्रकार मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के ऊपर डाला गया है। मूल अधिकार अत्यांतिक नही हैं राज्य लोकहित को ध्यान में रखते हुए इसको प्रतिबंधित कर सकती है।

(5) राज्य के नीति निदेशक तत्व :→ संविधान के भाग 4 में अनु० 36 से अनु० 51 तक शासन के नीतिगत मार्गदर्शन हेतु नीति-निदेशक तत्वो का उल्लेख किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमे वर्णित कर्तव्यों का पालन करके राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर सकता है।

(6) नागरिकों के मूल कर्तव्य :→ मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नही था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42 वे संविधान संशोधन वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 4(क) तथा अनुच्छेद 51(क) के अन्तर्गत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 86 वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा 11 वा मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष

Scanned with CamScanner

तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता-पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है।

(7) स्वतंत्र न्यायपालिका :⇒ भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है जो न केवल मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है बल्कि संघ एवं राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले गतिरोधों का भी पटाक्षेप करती है। इन दोनो ही महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन हेतु यह आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्तों के संबंध मे विशेष प्रावधान किया गया है।

(8) नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण :⇒ संविधान में संशोधन की दृष्टि से इसे इन दो श्रेणियों में विभाजित किया। जिन संविधानों मे संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उसे कठोर या अनम्य संविधान कहा जाता है वहीं जिन संविधानों में सरलता से संशोधन होता है उसे मृदु या नम्य संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में तीन तरीके से संशोधन होता है (a)- साधारण बहुमत द्वारा (b)- विशेष बहुमत द्वारा (c)- विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, इन्ही प्रक्रियाओं के कारण भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण कहा जाता है।

(9) केन्द्राभिमुख संविधान :⇒ भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को धारण करता है। इसमे जहां संघात्मक संविधान के सभी लक्षण यथा- शक्तियों का विभाजन लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका पाये जाते हैं वहीं इसमे एकात्मक लक्षण भी पाये जाते हैं जैसे- इकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, नये राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति इत्यादि।

Scanned with CamScanner